न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :—हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

संख्या:—84 / 2018

एम.एस .संख्या:—2018 / 00135

(225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

भूरी पुत्री दुर्गा पत्नी माधो जाति तेली निवासी भैरोबाम सौली तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना मध्य प्रदेश।

गुडडी पुत्री दुर्गा पत्नी रघुवीर जाति तेली निवासी नानपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

....अपीलांटस्।

बनाम

कुतमा पत्नी ओमप्रकाश

नीतू, पूजा, सुमन } पुत्रीयान ओमप्रकाश — जातियान तेली निवासीयान करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान

उप पंजीयक नायाब तहसीलदार करणपुर तहसील सपोटरा

तहसीलदार एवं उप पंजीयक लैण्ड होल्डर सपोटरा

हेमराज पुत्र हजारी जाति मीना निवासी करीलपुरा तहसील मण्डरायल जिला करौली राजस्थान।

....रेसपोंडेन्टस्।

उपस्थित:—

1. श्री नेमीचन्द शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं0 07।
3. श्री पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 27.02.23

यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सपोटरा जिला करौली में दायर प्रार्थना पत्र संख्या 06 / 15 बउन्वान ... बनाम ... पारित निर्णय दिनांक 26.06.2018 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी
माधोपुर (राज0)

Scanned with CamScanner

क्षेप में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र मातहत अदालत
समक्ष अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 इस आशय का
ा किया कि आराजी खसरा नंबर 853 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नंबर 862
कबा 1 बीघा 11 बिस्वा खसरा नंबर 863 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 864
कबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 865 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 20
घा 17 बिस्वा वाके ग्राम मढ़ी का गांव पटवार हल्का करणपुर तहसील सपोटरा मे
दीगण व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की पैतृक आराजीयात है।
ग्राम मौरया, देवीलाल, दुर्गा पुत्र नथुआ तीनों का 1/3-1/3 हिस्सा है। दुर्गा के
त होने के पश्चात उसके हिस्से की 1/3 आराजीयात दुर्गा की पत्नी व पुत्रियों के
यों के नाम दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 के पति ओमप्रकाश ने
जस्व अधिकारियों से मिलकर दुर्गा के हिस्से की आराजीयात को अपने नाम करवा
, ओमप्रकाश की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात ओमप्रकाश की पत्नी प्रतिवादी
संख्या 01 व ओमप्रकाश की पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 2 लगा 4 के नाम दर्ज रिकार्ड हो
। जबकि वादीगण अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण
त आराजीयात को रहन बय करने पर आमदा है। वादीगण द्वारा मातहत अदालत से
तिवादीगण को ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुतोष चाहा गया।
तहत अदालत ने दिनांक 26.06.2018 को वादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर
या। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई

पील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत द्वारा
पीलांटस/वादीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना गलत आदेश पारित
या गया है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में विवादित आराजीयात को
खातेदारी की आराजीयात माना है बावजूद यह तथ्य जानकर भी प्रार्थना पत्र
रिज कर दिया। आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 04 ने दावा पेश
ने के पश्चात भी उक्त आराजीयात में से कुछ हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 07 को बेच
या जो कि कानूनन गलत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत
निर्णय दिनांक 26.06.2018 को अपास्त फरमाया जावे कि वह आराजी खसरा नंबर
3, 862, 863, 864, 865 कुल किता 5 कुल रकबा 20 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम
ी का गांव को रहन बय नही करे तथा अपीलांटस के हिस्से की आराजी में कब्जे
श्त मे मजाहमत ना स्वयं करे ना दीगर से करावें।
पील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पा0 [illegible] सम्मन तलब किया
ा। तहत अदालत की पत्रावली तलब [illegible]
स सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
(राज0)

Scanned with CamScanner

ध्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए थन किया कि दौराने दावा विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्टस् नंबर 1 ता 4 द्वारा पोडेन्टस नंबर 7 को विक्रय करने के बाद भी अपीलांटस् का केस प्रथम दृष्टया ाबित होते हुये भी प्रार्थना पत्र खारिज करने मे भूल की है। मातहत अदालत ने पीलांटस्/वादीगण को उचित सुनवाई का अवसर दिए बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज र दिया। जो विधि विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अदालत मातहत ा आदेश दिनांक 26.06.18 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिये अस्थाई ृषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

वाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि मातहत अदालत द्वारा पारित र्णय दिनांक 26.06.18 उभयपक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुए ही पारित ज्या है। निर्णय में किसी भी प्रकार कोई त्रुटि नही है। अपील मात्र रेस्पोडेन्टस् को ाजह परेशान करने की मंशा से पेश की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज रमाई जावें।

भयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त स्तावेजों का अवलोकन किया गया।

कार्ड के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2039–2042 वाके ग्राम गढी ा गांव पटवार क्षेत्र करणपुर तहसील सपोटरा के अनुसार खसरा नंबर 859, 862, 63, 864, 865 कुल किता 5 कुल रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा भौरया, देवीलाल, दुर्गा सरान नथुआ कौम तेली प्रत्येक का हिस्सा बराबर के नाम दर्ज रिकार्ड है। अदालत ातहत मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 के जिम्मन नंबर 4 के अनुसार सजरा म्नानुसार है:–

जरे के अनुसार मृतक दुर्गा की विरासत मे उनकी पुत्रियों का अधिकर निहित है। पील अपीलांट स्वीकार योग्य है।

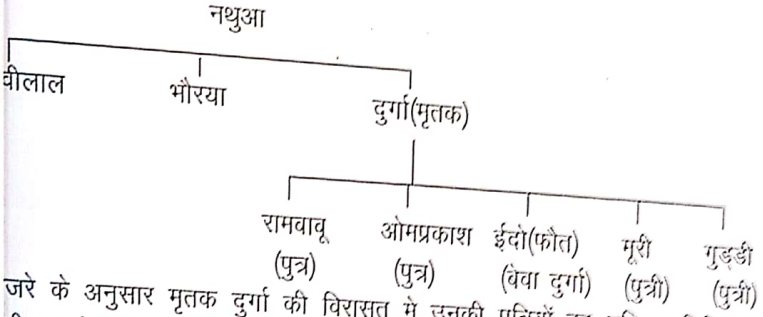

पर्युक्त विवेचना के आधार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की ाकर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के मुकदमा नंबर 06/15 बउनवान दो बनाम कुतमा में पारित निर्णय दिनांक 26.06.2018 को अपास्त किया जाता है।

प्राधिकारी
पुर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

2– यह कि अदालत मातहत ने राजस्व लोक अदालत में अपीलान्ट एवं अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना गलत आदेश पारित किया गया है।

नि. भूरी   नि. गुड्डी

Scanned with CamScanner

भूरी वगैरह बनाम कुतमा वगैरह
अपील संख्या 84 / 2018

[वा]दीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबंद किया जाता है कि मूल वाद के [निस्ता]रण तक अपीलांटस् के पिता दुर्गा(मृतक) के हिस्से की आराजीयात पर [अपी]लांटस् के हिस्से तक कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा [स्व]यं करे ना ही दीगर से करावें।
[पत्र]ावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक [..].02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:34 IST
Reason: SelfAttested

2- यह कि अदालत मातहत ने राजस्व लोक अदालत में अपीलान्ट एवं अपीलान्ट को सुनबाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना गलत आदेश पारित किया गया है।

::2::

Scanned with CamScanner